सरवर्क

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 82 / 2025 अपील (GCMS 2025/94)
पंजीयन दिनांक – 03 / 04 / 2025
निर्णय दिनांक – 30 / 04 / 2026

शौभालाल पुत्र उँकारलाल मेनारिया निवासी कानपुर (झल्लारघाटी) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र उँकारलाल, निवासी कानपुर (झल्लारघाटी) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा उदयपुर (राज.)

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. भूरालाल डांगी – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 59 / 2023 दिनांक 19.02.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 59 / 2023 दिनांक 19.02.2025 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने धारा–136, भू राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 के

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

सहस्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक भूमि होकर उनके दादा किशनलाल पिता नानजी के वक्त से चली आ रही है। किशनलालजी के बाद उक्त भूमि उँकारलाल पिता किशनलाल तथा उँकारलालजी के निधन पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1401 मृतक खातेदार उँकारलाल पिता किशनलाल के बजाय रेस्पोडेंट संख्या 1 गणेशलाल तथा बालु (अपीलार्थी का घर पर बोलता हुआ नाम तथा समस्त सरकारी दस्तावेजों में शौभालाल है) के नाम खोला गया। नामान्तरकरण पश्चात सहवन से जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 19.02.2025 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी बालु 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट गणेशलाल 1/2 हिस्सा शुद्धि करने का आदेश दिया किन्तु अपीलार्थी का नाम बालु के बजाय शौभालाल दुरूस्ती बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। विद्वान वकील अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस करते हुए अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलार्थी शौभालाल व रेस्पोडेंट संख्या 1 गणेशलाल की पैतृक भूमि होकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के बोलचाल नाम बालु दुरूस्त करने का आदेश पारित किया किन्तु अपीलार्थी के राजकीय दस्तावेजों अनुसार शौभालाल नाम दुरूस्त नहीं किया, जबकि तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार शौभालाल व बालु एक ही व्यक्ति होकर वर्तमान में सभी राजकीय दस्तावेजों में नाम शौभालाल है। साथ ही अवगत कराया कि पूर्व में भी अपीलार्थी की अपील प्रकरण संख्या 50/2022 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने दिनांक 23.11.2022 द्वारा अन्य भूमि प्रकरण के संदर्भ में अपीलार्थी का नाम बालु व शौभालाल एक ही

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

व्यक्ति होने से बालु के बजाय शौभालाल किया गया किन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार कर अपीलार्थी के बोलचाल नाम बालु के बजाय शौभालाल दुरूस्त नहीं किया गया। अंत में अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान बताया कि ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट हो कि बालु व शौभालाल एक ही व्यक्ति का नाम है। अतः अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा–136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके मौरूसी जायदाद में पिता श्री उँकारलाल मेनारिया की मृत्यु पश्यात खोले गए नामान्तरकरण संख्या 1401 दिनांक 18/11/1978 में गणेशलाल बालुजी उँकार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई किन्तु मात्र गणेशलाल का नाम अंकित किया गया था, जिसकी दुरूस्तगी तो कर दी गई किन्तु बोलचाल की भाषा में बालु के राजकीय दस्तावेज़ों में शौभालाल नाम के प्रतिस्थापन की इस्तदुआ नामंजूर किए जाने पर अपील प्रस्तुत की गई। साथ ही इसी पैतृक सम्पत्ति के अन्य खाते के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में प्रकरण संख्या 50/2022 निर्णय दिनांक 23/11/2022 द्वारा बालु के नाम की, बतौर शौभालाल इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश को मौतबिरान से जाँच व नामान्तरकरण के समय अपीलार्थी की उम्र मात्र 8 वर्ष की होने के कारण घर पर पुकारे जाने वाले नाम का आधार मानते हुए किए जाने से उक्त आदेश को प्रति साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध करवाई गई।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह ज़ाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 1401 दिनांक 18/11/1978 में अंकित किन्तु राजस्व अभिलेख में छूटे हुए सहखातेदार को प्रतिस्थापित किया गया परन्तु अपीलार्थी के बालु से शौभालाल के नाम संबंधी इन्द्राज दुरूस्ती के संबंधी में कोई व्याख्या अथवा आदेश पारित नहीं किया गया जबकि स्वयं उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अपीलार्थी के अन्य खाते में नाम संशोधन की कार्यवाही दिनांक 23/11/2022 को की गई, जिसकी प्रति भी अभिलेख पर उपलब्ध है।

उक्त परिदृश्य में हम अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को अपीलार्थी के नाम दुरूस्ती संबंधी अनुतोष के संदर्भ में गुणावगुण पर विवेचनात्मक निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी दिनांक 27/5/2026 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

संभागीय आयुक्त उदयपुर

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)